

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक/लेखा/नवीनमद(All Pcsso Court Alwar/ACJM-2,Behror)/2018-19/27247

दिनांक : 24/10/18

खुली बोली सूचना

असल न्याय क्षेत्रान्तर्गत नवसृजित विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट संख्या- 01, 02, 03, 04 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बहरोड हेतु लगभग 7,86,000 रूपय की विशिष्टी अनुसार कर्नोवर एल स्टील कर्नोवर आईटम्स की खरीद की जानी है। इस हेतु राजस्थान राज्य में स्थित ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई फर्म) जो कि संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र में एमएसएमई फर्म के रूप में पंजीकृत हैं, से राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता नियम-2013 के तहत द्वि-भागीय (तकनीकी एवं वित्तीय) सुहरबन्ध शर्तसहित बोली आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र शुल्क राशि 100/-रु0 (एमएसएमई फर्म के लिए) जमा कराकर, दिनांक 31.10.2018 की सांय 5.00 बजे तक इस कार्यालय की लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। तथापि बोली प्रारूप एवं संलग्न अन्य विवरण को <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र, प्ररोहण राशि 3,930/-रु0 के विभाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य ताम्रित दस्तावेजों सहित दिनांक 01.11.2018 को अपराह्न 02.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कराया जा सगा जो कि दिनांक 01.11.2018 की सांय 4:30 बजे क्य सगिति द्वारा खोला जावेगा तथा बोली का प्रारूप, फर्त एवं अन्य विवरण इस कार्यालय की विभागीय वेवसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/alwar> पर भी देखे जा सकते हैं।

— Sd —
अध्यक्ष, क्य समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

क्रमांक/लेखा/नवीनमद(All Pcsso Court Alwar/ACJM-2,Behror)/2018-19/27248 to 60. दिनांक : 24/10/18

प्रतिनिधि विन्यासिता को सूचनाार्थ प्रेषित है-

- 01 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
- 02 विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संख्या-01, 02, 03, 04 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बहरोड।
- 03 श्रीमान आयुक्त उद्योग, उद्योग भवन, शासन सचिवालय के पास, सी-स्क्रीम, जयपुर (दो प्रतिपों)।
- 04 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अलवर को प्रेषित कर ज्ञेय है कि दि. 01.11.2018 को सांय 04:30 बजे श्रीमती रिया शर्मा, सहायक निदेशक को इस कार्यालय में उपस्थित होने बावत् निर्देशित करें।
- 05 सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर शाखा-कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि खुली बोली सूचना एवं संलग्न किये गये बोली प्रपत्र व अन्य दस्तावेजों को राजस्थान लोक उपायन पोर्टल एवं विभागीय वेवसाईट पर अविलंब अपलोड करावे।
- 06 नॉटिस बोर्ड-कलेक्ट्रेट / कोषालय / सूचना केन्द्र - अलवर एवं कार्यालय हाजा पर वर्या हेतु।

D. S. Jaiswal
24.10.18
अध्यक्ष, क्य समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

E-mail Address : dc-alw-rj@nic.in

Tel.No. 0144-2337360

बोली विवरण पत्र

नवसूजित पोक्सो न्यायालय संख्या-01,02,03,04 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बहरोड हेतु फर्नीचर एवं स्टील फर्नीचर आईटम्स, विशिष्टी अनुसार कय के लिए बोली



1	बोली का नाम	फर्नीचर एवं स्टील फर्नीचर आईटम्स विशिष्टी अनुसार कय हेतु बोली।
2	बोली जिसे संबोधित है।	अध्यक्ष, कय समिति-जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर।
3	बोली का सन्दर्भ	लेखा/नवीनगढ़/(All Poeso Court Alwar/ACJM-2, Behror)/2018-19/27247 दिनांक 24.10.2018
4	बोली की अनुमानित लागत	7,86,000/- ₹0. (शब्देन रूपये सात लाख छियासी हजार मात्र)।
5	घरोहर राशि	3,930/-₹. (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु)।
6	बोली दस्तावेज शुल्क	100/-₹0 (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु)(Not Refundable)
7	सामग्री आपूर्ति का समय	15 दिवस (गन्टह दिवस)।
8	बोली विक्रय की अंतिम तिथि	दिनांक 31.10.2018 को सायं 05.00 बजे तक।
9	बोली प्राप्ति की तिथि	दिनांक 01.11.2018 को अपराह्न 02.00 बजे तक।
10	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	दिनांक 01.11.2018 को सायं 04.30 बजे।

- बोली उचित रूप से पृथक-पृथक दो मुहरबन्द लिफाफों में यथा-तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के रूप में तैयार की जाकर, दोनों लिफाफों को तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। लिफाफों पर पृथक-पृथक स्पष्ट रूप से क्रमशः "विशिष्टी अनुसार फर्नीचर/स्टील फर्नीचर हेतु तकनीकी बोली" तथा " विशिष्टी अनुसार फर्नीचर/स्टील फर्नीचर हेतु वित्तीय बोली" लिखा जावेगा तथा इसके पश्चात् दोनों लिफाफों को एक साथ एक अन्य लिफाफे में मुहरबन्द किया जाकर इस तीसरे लिफाफे पर " विशिष्टी अनुसार फर्नीचर/स्टील फर्नीचर हेतु बोली" लिखा जावे एवं बोली को निर्धारित तिथि एवं समय तक इस कार्यालय की लेखा शाखा में जमा करना है। सशर्त एवं विलम्ब से प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- तकनीकी बोली के मुहरबन्द लिफाफे में परिशिष्ट-(2) में अंकित दस्तावेज तथा बोली प्रपत्र के साथ सतम्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रात्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर सतम्न करने हैं।
- दिनांक ड्राफ्ट जो कि अलवर स्थित बैंक में Payable होगा, **DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR** के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना है।
- वित्तीय बोली के मुहरबन्द लिफाफे में केवल " विशिष्टी अनुसार फर्नीचर/स्टील फर्नीचर आईटम्स के लिए" निविदा की गई दरो की परिशिष्ट-(9) फर्म के लैटर हेड पत्र सहित रखी जानी है।
- कार्यालय में प्राप्त हुई बोलीओं को, कय समिति द्वारा विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक संख्या-2 अलवर के अदवाशागर में दिनांक 01.11.2018 को सायं 04.30 बजे प्रथमतः तकनीकी बोली को उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा। ऐसी एम.एस.एम.ई.फर्म जिनकी तकनीकी बोली सही पाई जावेगी, केवल उन्हीं फर्मों की वित्तीय बोली को खोला जावेगा। वित्तीय बोली को तकनीकी बोली खोले जाने के पश्चात् दि 01.11.2018 को भी खोला जा सकता है। यदि वित्तीय बोली को दि 01.11.2018 को खोला जाना संभव नहीं हो सका तो वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय की सूचना संबंधित फर्म को उनके मोबाईल नं० पर दी जावेगी। जो फर्म तकनीकी बोली में अस्फल पाई जावेगी उन्हीं वित्तीय बोली के बारे में कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- बोली खोले जाने वाले दिनांक को अवकाश घोषित होने पर बोली आगामी कार्य दिवस में खोली जावेगी।
- कय समिति द्वारा बोली की पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए किसी भी फर्म की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

अध्यक्ष, कय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

(बोलीदाता द्वारा भरा जाना है)

परिशिष्ट- "(1)"

बोली प्रपत्र

नवसृजित पोक्सो कोर्ट संख्या 01, 02, 03, 04 व अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बहरोड के न्यायालयों हेतु फर्नीचर एवं स्टील फर्नीचर आईटम्स विशिष्टी अनुसार कग के लिए बोली



1.	बोली का नाम	विशिष्टी अनुसार फर्नीचर एवं स्टील फर्नीचर आईटम्स कग हेतु बोली।
2.	बोली जिसे संबोधित है	अध्यक्ष, कग समिति-जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर।
3.	बोली का संदर्भ	लेखा/नवीनमद(AH Paozo Court Alwar/ACJM-2, Behror) (2018-19/27247 दिनांक 24.10.2018
4.	बोली की अनुमानित लागत	7,86,000/- रु० (शब्दों में रुपये सात लाख छियासी हजार मात्र)।
5.	फर्म का नाम पता टेलीफोन/मोबाईल नं० आवास का पता कोड नं० ई-मेल पता	
6.	फर्म की स्थापना का वर्ष	
7.	फर्म का विवरण पब्लिकलि/प्रा.लि./ साझेदारी/प्रोपराइटी है।	
8.	एमएसएमई पंजीयन क्रमांक (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
9.	पैन नं० एवं चारक का नाम (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
10.	बोली शुल्क जमा का विवरण (साक्ष्य संलग्न करें)	100/- रु० (परिवे रसीद सं०) _____ दिनांक _____ अथवा 100/- रु० डी.डी. सं० _____ दिनांक _____
11.	वसतार/राशि जमा का विवरण (मूल डी.डी. संलग्न करें)	3,930/- रु० (परिवे डी.डी. सं०) _____ दिनांक _____
12.	फर्म के बैंक खाते का विवरण (1) बैंक का नाम (2) शाखा का नाम (3) आई.एफ.एस.सी. कोड सं० (4) खाता संख्या	

- विशिष्टी अनुसार फर्नीचर/स्टील फर्नीचर की दरें पृथक से संलग्न "वित्तीय बोली" (परिशिष्ट-(9)) में अंकित की गई है।
- निविदस्त की गई दरें दिनांक 31.03.2019 तक के लिए विधेमान्य होंगी एवं इस अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- हम इस बोली सूचना संख्या : लेखा/नवीनमद(AH Paozo Court Alwar/ACJM-2, Behror)/2018-19/27247 दिनांक 24.10.2018 में अंकित विवरण एवं बोली के साथ संलग्न प्रपत्रों में अंकित समस्त निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हैं एवं इसके प्रमाणनस्वरूप हमने बोली के चूट सं० 01 लगायत 19 तक समस्त पृष्ठों पर फर्म की मुहर अंकित करते हुए हस्ताक्षरित कर, इस बोली के साथ संलग्न किये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

तकनीकी बोली के मुहरबन्द लिफाफे में रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	हस्ताक्षरित मूल बोली प्रपत्र मय पु.सं. 1 लगायत 19.	
02	राजस्थान राज्य में स्थित फर्म का संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र से एम.एस.एम.ई. फर्म के रूप में पंजीकृत होने के प्रमाण-पत्र की प्रति स्वप्रमाणित।	
03	बोली प्रपत्र शुल्क राशि 100/-रु0 जमा कराने के साक्ष्य की प्रति स्वप्रमाणित।	
04	धरोहर राशि 3,930/-रु0 का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट। रुग्ण ईकाई होने की दशा में अमानत राशि का 50 प्रतिशत देय होगी। जिसके लिए फर्म को रुग्ण ईकाई घोषित होने के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी स्वप्रमाणित।	
05	फर्म के जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति स्वप्रमाणित।	
06	माह जून-2018 तक के जी.एस.टी. क्लैमरन्स प्रमाण पत्र की प्रति या 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टैम्प पर कर बकाया नहीं होने का शपथ पत्र(प्रमाणपत्र की प्रति भी दर्शाये स्वप्रमाणित)।	
07	अव्यक्त बैंक कार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।	
08	परिशिष्ट--“(4)” अनुसार, मातर ऑफ अटॉर्नी के पत्र की मूल प्रति। (यदि बोली प्रक्रिया में फर्म मालिक के अलावा अन्य कोई प्राधिकारी उपस्थित होता है)।	
09	परिशिष्ट--“(5)” अनुसार, 50/-रु0 के नॉनज्यूडिशियल स्टैम्प पत्र पर फर्म को “ब्लैकलिस्टेड” नहीं होने का मूल शपथ-पत्र जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो।	
10	प्रपत्र एस.आर. - 11 की मूल प्रति।	
11	फर्म का अनुभव प्रमाण-पत्र। पूर्व में आपूर्ति आदेशों की एक प्रमाणित छायाप्रतियाँ स्वप्रमाणित।	
12	फर्म के बैंक खाते का विवरण पत्र स्वप्रमाणित।	



हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

D. S. D. D.
24-10-18
अध्यक्ष, कय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

फर्नीचर/स्टील फर्नीचर का विवरण जिसकी खरीद की जानी है

क्र. सं.	उत्पाद का विवरण	स्पेशीफिकेशन	अनुमानित मात्रा
01	Teak Wooden Dias Chair	Made of Teak Wood, (Ht.) From Floor 34 Inch, From Seat 17 Inch, From Floor to Handle 24 Inch, Seat Size: 18x21 Inch, Legs: 1 1/2 x 1 1/2 Inch, Handles: 3 x 1 1/2 Inch, & Melamine Polished. Seat: Full Cushioned with Red colour Best Quality Cloth, Back Seat: Full Cushioned with Red colour Best Quality Cloth Make Ashok Stambh (National Emblem) on the back Side top of the Chair.	05
02	Wooden Dais Table 5' x 4'	Made of ISI 19mm Block Board with 1mm mica-ISI including bidding of Teak wood and melamine polished. 2" x 2" Legs and side wood 2" x 1 1/2" shyal with foot rest size 28" x 9", Drawer with telescopic channel Heavy, Handle Heavy Quality 4", Drawer Size 13" x 6". One side Drawer (Right Side).	01
03	Wooden Dais Table 5' x 3'	Made of ISI 19mm Block Board with 1mm mica-ISI including bidding of teak wood and melamine polished. 2" x 2" Legs and side wood 2" x 1 1/2" shyal with foot rest size 28" x 9", Drawer with telescopic channel Heavy, Handle Heavy Quality 4", Drawer Size 13" x 6". One side Drawer (Right Side).	04
04	Wooden Sofa Set (3+1+1)	Sofa set with jute cushioned Army Wooden handle Seat and Back. PU-Foam, 32 density seat and all side foam. Size (3 Seater) : 1-74", W-32" and height-34" with jute fabric and wooden handle with matt brown polish with seat height of 16" and handle size of 7" and single seat(1 Seater) of length 36" and width 32" and height 34" with jute fabric and wooden handle in brown matt polish with seat height of 16" and handle width of 7". Inside Wood- Mirindi wood.	05
05	Wooden Officer Table 5' x 4'	Size: 1500x1200x750mm, Made of ISI 19mm Block Board with visible sides Thick 57mm with 1mm mica including bidding of teak wood and melamine polish. 2" x 2" , Legs on side wood of 2" x 1 1/2" and footrest included as per size of table. Drawers with heavy telescopic channel and Handle of 4" size Heavy Quality in Chrome Polish. Inside Wood- Shyal Wood.	01
06	Credestle	Size : L-36" D-16" H-30" Top-Height : 27" 1 shelf below height of 27" & one shelf at footrest level : All side H/R teak wood bidding and mica of 1mm.	05
07	Wooden Officer Table 6' x 3'	Size: 1800x1200x750mm, Made of ISI 19mm Block Board with visible sides Thick 57mm with 1mm mica including bidding of Teak and melamine polish. 2" x 2" , Legs on side wood of 2" x 1 1/2" and footrest included as per size of table. Drawers with heavy telescopic channel and Handle of 4" size Heavy Quality in Chrome Polish Inside Wood- Shyal wood.	04
08	Wooden Bench	Frame made of Babool wood, Size : 6'x1.5'x1.25'. 18mm Ply Top with 0.8mm Mica (ISI Mark) & Melamine Polished. Six square legs. Size : 2'x2"	10
09	Tabular Steel Office Table 5' x 3'	Table Size : 1500x900x750mm, Top Size : 1500x900x18mm with PLT Board including Bidding of Visible thickness of 35 mm PVC Tape Pasted with Fevicol Heatec Industrial Glue Frame made of 16 Gaze MS Square Pipe Size : 1350x750x740, One side Three Drawers & Other side One Cabinet, Iron Sheet 22 Gaze, Approx Weight : 35Kg, Excluding Top	40
10	Tabular Steel Office Table 4' x 2.5'	Table Size : 1200x750x750mm, Top Size : 1200x750x18mm with PLT Board including Bidding of Visible thickness of 35 mm PVC Tape Pasted with Fevicol Heatec Industrial Glue Frame made of 16 Gaze MS Square Pipe Size : 1350x750x740, One side Three Drawers, Iron Sheet 22 Gaze, Approx Weight : 20Kg, Excluding Top	06
11	Tabular Steel Office Table 4' x 3'	Table Size : 1200x900x750mm, Top Size : 1200x900x18mm with PLT Board including Bidding of Visible thickness of 35 mm PVC Tape Pasted with Fevicol Heatec Industrial Glue Frame made of 16 Gaze MS Square Pipe Size : 1350x750x740, One side Three Drawers, Iron Sheet 22 Gaze, Approx Weight : 20Kg, Excluding Top	04
12	Chairs For Court Room	Frame made from Babool Wood, Back Height : 36" Depth : 30" Seat Height : 17" Front width : 17" Handle Height : 24" Turning Legs Front 2 1/4" x 2 1/2" Three Side Support, Plywood with Sunmika teack Colour Natural Polish.	20



हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

अध्यक्ष, कय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
अलवर

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (To be filled by the Bidder)



To,
The Chairman,
Tenders & Purchases Committee,
District & Sessions Court, Alwar.

Sir,

If I / We.....(Name/Designation) hereby declare/
certify that (Name/Designation) is hereby authorized to sign
relevant documents on behalf of the company / firm in dealing with BID / NIB No:
Accts./NewTimes(All Pocso Court Alwar/ACJM-2, Behror)/2018-19/ 27247 Dated 24.10.2018

He / She is also authorized to attend meetings & submit technical &
commercial information / clarifications as may be required by you in the course of
processing the BID. For the purpose of validation, his / her verified signatures are as
under.

Thanking you,

Verified

Signature :

Name of the Bidder :

Authorised Signatory :

Seal of the Organization

Date :

Place :

Declaration by the Bidder on Non Judicial Rs. 50/- Stamp Paper (To be filled by the Bidder)

To,
The Chairman,
Purchases Committee,
District & Sessions Court, Alwar.

In response to the Ref. BID/ NIB No: Actts./NewItmes(All Poeso Court Alwar/ACJM-2, Behror)/2018-19 / 27247Dated 24.10.2018 Purchases of Furniture/Steel Furniture Items according to specification for the Court Special Judge, POCSO No 1, 2, 3, 4 Alwar/ ACJM No. 02, Behror as an Owner/Partner/Director/Auth.Sign. Of I /We hereby declare that presently our Company / Firm..... at the time of bidding, :-

- a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- b) having fulfilled my / our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State / Central Government / PSU / UT;
- d) does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during last three years;
- e) does not have any debarment by any other procuring entity;
- f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- g) does not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition;
- i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my / our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Name of the Bidder : Authorised Signatory :

Seal of the Organization

Place :

Date :

Certificate of Conformity / No Deviation (To be filled by the Bidder)

To,
Chairman,
Purchases Committee,
District & Sessions Court, Alwar.



NIB No: Actts./NewItmes(All Poeso Court Alwar/ACJM-2, Behror)/2018-19/ 27247 Dated
24.10.2018

CERTIFICATE

This is to certify that, the specifications of Furniture / Steel Furniture Itmes Which I /We have mentioned in the Technical bid, and which It We shall supply if I / We am/are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Also, I / We have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate, We hereby submit our token of acceptance to all the bid terms & Conditions without any deviations.

I / We also certify that the price I / We have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the project, to meet the desired Standards set out in the Tender / bidding Document.

Thanking you,

Name of the Bidder :

Authorised Signatory :

Seal of the Organization

Place :

Date :

(प्रपत्र-एस.आर. 11)



-: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा :-

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/
स्टोर्स/ उपकरण के लिए बोली दी है, उनका / उनके / मैं / हम,
बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/ सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर /
डीलर / सोल सैलिंग / विपणन एजेंट हूँ / हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो
की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण
रूप में जप्त कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार
किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की मुहर



टिप्पणी : बोलीदाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और अपनी बोली भेजते समय इन शर्तों की स्वीकारोक्ति में अपनी फर्म की मुहर अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर भी करें।

एफ0ओ0आर0 विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय संख्या 01, 02, 03, 04 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक निरीक्षक संख्या 02, बहरोड के लिए होगी।

02 बोलीदाता द्वारा उन सामग्रियों के संबंध में, जिनके सम्मुख बोली प्रपत्र में विशिष्टी के कॉलम में कोई मेक/विशिष्टियाँ अंकित नहीं हैं: ऐसी स्थिति में स्वयं की मेक अथवा विशिष्टियाँ कोई हों, तो दर के साथ अंकित की जावेगी।

03 बोली उचित रूप से पृथक-पृथक दो मुहरबन्द लिफाफों में यथा-तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के रूप में तैयार की जाकर, दोनों लिफाफों को एक ही मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय में प्रेषित की जावेगी।

04 बोली वास्तविक एम.एस.एम.ई. फर्मों द्वारा ही दी जावेगी। जिसके लिए उन्हे संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग अधिकारी द्वारा जारी किया गये पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

05 फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन में सविदा/बोली के अधीन किसी भी व्यक्ति से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

06 सविदा के सम्बन्ध में नई फर्म को, तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किये जावेंगे जब तक कि वह/वे समस्त निर्बन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिसूचित हेतु सफल बोलीदाता की स्वीद को या किसी भागीदार की स्वीद को बाद में उपयुक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह सविदा के किसी प्रयोजन हेतु प्रयोज्य उन्मोचन होगा।

07 बोलीदाता बोली प्रपत्र ख्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पेन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता द्वारा दरे, बॉल पेन अथवा टंकण यंत्र से अकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। दरे में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपरलेखन नहीं किया जावेगा। ऐसा यदि कोई है, तो बोलीदाता को उस पर अपने लघुहस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे।

08 बोली में दरे, समस्त करों को शामिल करते हुए अंकित की जावे।

09 दरे खोली जाने की दिनांक से 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

10 सफल बोलीदाता के लिए यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य एक दक्ष एवं निपुण व्यक्ति के स्तर का होगा। त्रुटि या संदेह की स्थिति में सविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वह अध्यक्ष क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर से आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकेगा।

11 सफल बोलीदाता अपने कार्य/सविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा।

12 सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का निरीक्षण कराया जावेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देश प्राप्त कसेगा।

13 निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नहीं होगा, उसे स्वद करने का अधिकार अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर को होगा।

14 यदि बोली प्रारूप एवं अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन बोर्डल की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किया गया है तो, बोली प्रपत्र शुल्क राशि 100/-रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट बोली के साथ संलग्न कर, प्रस्तुत करना होगा साथ ही बोली के साथ बहरोडर राशि 3,930/-रु0 (अक्षरे रूपये तीन हजार नौ सौ तीस मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट अलवर स्थित बैंक में Payable होमा/होंगे, जो कि DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR के नाम से तैयार कराकर जमा कराना होगा/होंगे। इस बहरोडर राशि का निम्न परिस्थितियों में समग्रहरण किया जा सकेगा :-

Asst. Secy
24.12.18

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर



(i) जब बोली दाता, बोली खोले जाने के पश्चात्, किन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

(ii) जब बोली दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, सम्पादित नहीं करता।

(iii) जब प्रदाय आदेश दिये जाने पश्चात्, बोलीदाता कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

15. अध्यक्ष, कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलावर को किसी भी बोलों को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोलों नहीं है, स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये, किसी भी बोली को/उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
16. सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि में, बोली सूचना की अनुमानित राशि का 1 प्रतिशत (एम.एस.एम.ई. फर्म के लिये) अर्थात् 7,800/- रु०, कार्य सम्पादन प्रतिभूति, डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि अलावर स्थित बैंक में Payable होगा, के माध्यम से दरे स्वीकृत करने के तीन दिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी जिसमें बिड प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जा सकेगा। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **DISTRICT & SESSIONS JUDGE, ALWAR** के नाम से तैयार करना होगा। इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः निम्नानुसार समपहरण किया जा सकेगा -
 - (i) जब सविदा के किसी निरंक्य या शर्तों को भंग किया जाता है।
 - (ii) जब बोलीदाता संतोषप्रदरूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
 - (iii) इस संबंध में अध्यक्ष, कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलावर का निर्णय अंतिम होगा।
17. सफल बोलीदाता को प्रारम्भ एस.आर.-17 के अनुसार एक करार राशि 500/- रु० के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर, दरें स्वीकृत करने के तीन दिवस में आवश्यक रूप से करना होगा।
18. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-प्रथम के भाग द्वितीय के नियम-88 में अभिव्यक्त प्रारम्भ एस.आर.-10 में वर्णित शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में फारदर्शिता नियम-2013, इस सविदा/बोली का भाग समझे जावेंगे, जो बोलीदाता पर सामान्य रूप से प्रभावी होंगे।
19. वित्त विभाग राज. सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में उल्लिखित एस.ओ. 185 के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
20. बोली प्रारूप में सुपुर्दगी हेतु निर्दिष्ट समय को सविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल बोलीदाता, अध्यक्ष, कय समिति-जिला एवं सेशन न्यायालय, अलावर से आदेश की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।
 - (i) निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में उस सामग्री/सेवा जिसका प्रदाय करने में बोली दाता विफल रहता है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर कसूली की जा सकती है, यदि अवधि विहित कालावधि की-

(क) एक चौथाई कालावधि तक के लिए -	2.50 प्रतिशत।
(ख) एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनधिक कालावधि के लिए-	5.00 प्रतिशत।
(ग) आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि के लिए-	7.50 प्रतिशत।
(घ) तीन चौथाई से अधिक की कालावधि के विलम्ब के लिए-	10.0 प्रतिशत।
 - (ii) प्रदाय में विलंब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जावेगी यदि वह आठे दिवस से कम है। निर्धारित नुकसान की अधिकतम राशि 10.0 प्रतिशत होगी।
 - (iii) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण सविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है-तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद।
 - (iv) यदि माल/सेवा के प्रदाय में विलंब, बोलीदाता के नियंत्रण से परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना, बढ़ाया जा सकेगा।

D. S. Nigam
24/10/18

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर



21. यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दिये जाते हैं, तो बोलीदाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (रिपीट ऑर्डर) बोली में दी गई शर्तों पर दरी पर दिये जा सकेंगे जो मूल सविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत तक होगा। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जावेगी।
22. यदि अध्यक्ष, कय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर या सक्षम प्राधिकारी निविदत सामग्री में से किसी भी सामग्री के प्रदाय का आदेश नहीं करता या बोली प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम आदेशित करता है, तो बोलीदाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
23. बोलीदाता को बोली खोलने के समय स्वयं उपस्थित रहना होगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो उसी दिवस या अन्य किसी दिवस को जैसा जख्यका कय समिति उचित समझे, नेगोशिएशन करना होगा/नेगोशिएशन की चरें प्रस्तुत करनी होंगी।
24. बोलीदाता इस संबंध में गारण्टी देगा कि कय किये जाने वाली अथवा प्रदाय किये गये माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख से छः माह की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुओं विनिर्दिष्ट किये गये विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेंगी और इस तथ्य तर्क होत हुए भी कि अध्यक्ष, कय समिति अथवा सक्षम अधिकारी ने उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण/अथवा अनुमोदन कर लिया है-यदि उपर्युक्त छः माह की कालावधि के उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं के संबंध में यह पाया जावे कि उपर्युक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं है या ऐसी अवधारित की गई है (और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, कय समिति का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।) तो अध्यक्ष, कय समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया जाये, अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। ऐसी अस्वीकृती पर माल विक्रेता की जोखिम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उससे ऐसा करने को कहा जाए तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे कय समिति या सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया है-प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा बोलीदाता ऐसे नुकसान को संदाय करेगा जो इससे समाविष्ट शर्तों के मग करने के कारण उत्पन्न हो। इस सविदा के अधीन या अन्यथा रूप से अध्यक्ष, कय समिति अथवा सक्षम अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
25. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो ऐसी बोली को निरस्त कर दिया जावेगा।
26. सफल बोलीदाता फर्म को सामग्री की आपूर्ति करने से पूर्व, सामग्री का समल कय समिति से अपने स्वयं के खर्च पर अनुमोदित करावना होगा। यदि परीक्षण परिणामों से ऐसा ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित शर्तों या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो बोलीदाता ऐसे प्रदाय किये गये सामान को स्वयं के खर्च पर परिवर्तित करने के लिये बाध्य होगा।
27. सफल बोलीदाता द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में सामग्री की सुपुर्दगी देनी होगी। यदि सफल बोलीदाता फर्म निर्धारित अवधि में माल सप्लाई करने में असफल रहती है तो कय अधिकारी को पुनः बोली आमंत्रित करने/जन्यत्र से सप्लाई लेने की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होगी। यदि पुनः सामान कय करने में अधिक मुग्तान करना पडा तो अन्तर राशि फर्म की अमानत राशि से काटी जावेगी तथा अन्य विधिक कार्यवाही जो की जा सकती है, किये जाने के लिये अध्यक्ष, कय समिति स्वतंत्र होगा।
28. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, सामान की सुपुर्दगी के लिए मुग्तान बोलीदाता द्वारा केंटा अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एव लेखा निरामों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत्त की जावेगी।

OS/10/10
24.10.18

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

(बोलीदाता अपनी फर्म के लैटरहेड पत्र के साथ पृथक से मुहरबन्द "वित्तीय बोली" के लिफाफे में रखें)

(NIB No: Actts./Newltnes(All Pocco Court Alwar/ACJM-2, Behror)/2018-19 / 27247
Dated 24.10.2018



विशिष्ट-अनुसार फर्नीचर/स्टील फर्नीचर कय हेतु "वित्तीय बोली" का प्रपत्र
(फर्नीचर आईटम्स की विशिष्टियाँ परिशिष्ट- "(3)" में अंकितानुसार)

क्र.सं.	फर्नीचर आईटम का नाम	दर ईकाई	प्रति नग निविदत्ता की गई दरें (रुपये में) (सभी करों एवं प्रयोगों को शामिल करते हुये)	
			दर अकों में	दर शब्दों में
01	Teak Wooden Dias Chair	per Dias Chair		
02	Wooden Dias Table 5' x 4'	per Dias Table		
03	Wooden Dias Table 5' x 3'	per Dias Table		
04	Wooden Sofa Set (3+1+1)	per Sofa Set (3+1+1)		
05	Wooden Officer Table 5'x4'	per Table		
06	Credestle	per Credestle		
07	Wooden Officer Table 6'x3'	per Table		
08	Wooden Bench	per Bench		
09	Tabular Steel Office Table 5'x3'	per Office Table		
10	Tabular Steel Office Table 4'x2.5'	per Office Table		
11	Tabular Steel Office Table 4'x3'	per Office Table		
12	Chairs For Court Room	per Chair		

हस्ताक्षर बोलीदाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर

Osnapav
24-10-18
अध्यक्ष, कय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर



Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as an engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:

D. S. Jaiswal

हस्ताक्षर खोली दाता



Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

DSNAPAR

Signature of bidder:

Name :

Designation:

Address:

हस्ताक्षर श्रीश्रीदास

Doc1



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground of grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of mode of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Date:

D. S. Nigam

हस्ताक्षर विली दास



- (6) Every appeal may be presented in First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered person or authorized representative.
- (7) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be subject two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall-
- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

DS Nagar

हस्ताक्षर कोजी दाता

Doc1



3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

D. S. Nagar

हस्ताक्षर वीली दाता

Dist



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

D. S. Nagar

हस्ताक्षर केलीवाला

Date:



3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Bsnagar

हरनाथर कौलीवाना